हिन्दी

आपका वेतन

SA UNIONS
SAUNIONS.ORG.AU
(08) 8279 2222

SA UNIONS
SAUNIONS.ORG.AU

न्यूनतम वेतन

आपको कम से कम, आपका न्यूनतम वेतन अवश्य मिलना चाहिए।

कर लागू किए जाने से पहले, न्यूनतम वेतन* है:

- $24.95 डॉलर प्रति घंटा, या
- $948.00 प्रति 38 घंटे का सप्ताह

(2025-2026)

आपको प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) में, टीम मीटिंगों में, ट्रायल शिफ्ट में तथा व्यवसाय खोलने और बंद करने में बिताए गए समय के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। आवास या भोजन, आपके वेतन की जगह नहीं ले सकते हैं। कमाई के रूप में यह वास्तविक धन होना चाहिए।

अवार्ड वेतन

'अवॉर्ड्स् (Awards)' उन न्यूनतम वेतन दरों और रोज़गार की शर्तों को कहा जाता है जो किसी विशेष उद्योग या व्यवसाय पर लागू होती हैं। अवॉर्ड 'फ़ेअर वर्क कमीशन' द्वारा बनाए जाते हैं तथा उन्हें न्यायालय में कानूनी रूप में लागू करवाया जा सकता है। आस्ट्रेलिया में 5 में से लगभग 1 कर्मचारी अवॉर्ड के अधीन आते हैं।

कैज़ुअल लोडिंग

यदि आप एक कैज़ुअल कर्मचारी हैं, तो भुगतानशुदा अवकाश जैसे लाभों की कमी की भरपाई के लिए आप 'कैज़ुअल लोडिंग' (जो आमतौर पर 25% होती है) के रूप में अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं।

पैनल्टी रेट

यदि आप सप्ताहांत को या सार्वजनिक अवकाश के दिन काम करते हैं, या यदि आप ओवरटाइम, तड़के सुबह या रात की पाली (शिफ़्ट) में काम करते हैं, तो आप उच्च वेतन दर या अतिरिक्त अवकाश के हकदार हो सकते हैं।

वेतन की रसीद (पे-स्लिप/Pay Slips)

जब आपको अपना वेतन प्राप्त होता है (नकद, चेक या बैंक ट्रांसफर), तो आपको भुगतान प्राप्त करने के 1 कामकाजी दिन के भीतर पे-स्लिप आवश्यक रूप से मिल जानी चाहिए। अपनी पे-सलिप्स को संदर्भ के लिए संभाल के रखें।

पे-स्लिप में निम्न चीज़ें दर्शाई जानी चाहिए:

- काम करके आपने कितनी कमाई की है
- लोडिंग, पैनल्टी दरें और अन्य बनती हकदारियाँ जिनका भुगतान आपको किया गया है
- आपके वेतन से की गई कोई भी कटौती।

वर्ककवर (WorkCover)

यदि आप काम की वजह से घायल या बीमार हो जाते हैं, तो आप भुगतानशुदा अवकाश तथा चिकित्सीय खर्चों का भुगतान प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं।

*कुछ कर्मचारियों को सीमित परिस्थितियों में कम वेतन दिया जा सकता है, जैसे 21 वर्ष से कम आयु के कुछ कर्मचारी तथा कुछ अपरेंटिस (apprentices) या प्रशिक्षार्थी। अधिक जानकारी के लिए फ़ेयर वर्क आमबुडज़मन (काम काज संबंधी मुद्दों के लोकपाल) से संपर्क करें: https://www.fairwork.gov.au/